

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह**

व्य0वा0क0-163ए / 2016

आर.सी.एस / ए-300019 / 2016

संस्थित दिनांक-29.03.2016

सतीशचन्द्र सोनेकर, आयु 45 वर्ष पिता धरमचंद सोनेकर, जाति कलार
निवासी-ग्राम सहेजना रा.नि.म. मजगौव तह. परसवाड़ा
जिला बालाघाट।
हा.मु-वार्ड नं. 15 ग्राम हिरापुर(भरवेली)
पो. भरवेली तह. जिला बालाघाट म.प्र.

.....वादी।

- / / विरुद्ध / / -

- 1-कीरतभान सोनेकर आयु 49 वर्ष पिता धरमचंद सोनेकर जाति कलार,
- 2-देवेन्द्र सोनेकर आयु 26 वर्ष पिता कीरतभान सोनेकर जाति कलार,
- 3-डीलेश्वर उर्फ गोलु सोनेकर आयु 20 वर्ष, पिता कीरतभान, जाति कलार,
सभी निवासी-ग्राम सहेजना रा.नि.मं. मजगौव तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट।
- 4-मध्यप्रदेश राज्य की ओर-श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण।

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-26 / 07 / 2017 को घोषित)

1. वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रति.क.01 वादी का बड़ा भाई है तथा प्रति.क.02 एवं 03 वादी के भतीजे हैं।
3. वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की चल एवं अचल संपत्ति ग्राम सहेजना में स्थित है। प्रकरण की विवादित भूमि मकान एवं हाताबाड़ी की भूमि है, जिसमें प्रति.क.-01 लगायत 03 जबरदस्ती मकान निर्माण करना चाहते हैं। विवादित भूमि पर मक्का व सरसों की फसल होती है। विवादित भूमि

वादी की पैतृक संपत्ति है, जो उसके पिता धरमचंद की मृत्यु के पश्चात हुए बंटवारे में वादी को प्राप्त हुई थी, जो राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम पर दर्ज है। जिसका वादी उपयोग व उपभोग करते चला आ रहा है। प्रति.क्र.-01 ने वादी के गांव से बाहर रहने का लाभ उठाकर वादी की भूमि पर अपने पुत्रों के सहयोग से जबरदस्ती मकान निर्माण करने के लिए नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया है। वादी को जानकारी होने पर वादी ने दिनांक-02.03.2016 को मौके पर जाकर मकान निर्माण करने से मना किया तो प्रति.क्र.-01 लगायत 03 वादी से कहने लगे कि उससे जो बनता है कर ले, वह मकान निर्माण करके ही रहेंगे। वादी द्वारा इस संबंध में पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट की गई थी, किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने से उनका मनोबल बढ़ गया था। यदि वादी के स्वामित्व की भूमि पर प्रति.क्र.-01 लगायत 03 को मकान निर्माण करने से नहीं रोका गया तो वह वादी के स्वामित्व की भूमि पर मकान निर्माण कर समस्त मकान हाता बाड़ी की भूमि पर कब्जा करने में सफल हो जाएंगे। वादी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

4. वादी के वादपत्र का प्रति.क्र.-01 लगायत 03 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर अपने विशेष कथन में बताया है कि उभयपक्ष की खानदानी भूमि मौजा सहेजना प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. मजगांव तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित थी, जिसका वादी एवं प्रति.क्र.-01 के भाई बृजबिहारी के मध्य बंटवारा हो चुका है, जिसके आधार पर सभी अपने हक हिस्से की भूमि पर मालिक काबिज चले आ रहे हैं। विवादित भूमि खसरा नंबर-17/1 रकबा 0.94 डिसमिल भूमि के अलावा मूल खसरा नंबर-17 में दर्ज भूमि रकबा 2.46 एकड़ भूमि वर्ष 1944-55 में शासकीय आबादी मद में दर्ज थी, जिसका कब्जा बसाहट के आधार पर वादी एवं प्रति.क्र.-01 एवं उसके भाई बृजबिहारी एवं उनके पिता को एवं अन्य ग्राम वासियों को आंबटित की गई थी। उक्त भूमि धरमचंद को पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जो उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को बंटवारे में प्राप्त हुई थी। प्रतिवादीगण ने वादी का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रकरण में प्रति.क्र.-4 दिनांक-21.06.2016 को एकपक्षीय हो गया है, इस कारण उसकी ओर से वादी के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया गया है।

6. प्रकरण में तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए—

क मांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी को वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति होने से बंटवारे में प्राप्त हुई थी ?	“वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति होना प्रमाणित नहीं वादग्रस्त संपत्ति पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त होना प्रमाणित माना गया। ”
2	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है ?	“ प्रमाणित ”
3	सहायता एवं खर्च ?	“ वादी का वादपत्र निर्णय की कंडिका-11 के अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। ”

वादप्रश्न क01 का निराकरण:-

7. वादी सतीशचंद्र सोनेकर वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथ पत्र की साक्ष्य में बताया है कि भूमि सर्वे क्र. 17/1 रकबा 0.94/0.377 हेक्टेअर मौजा सहेजना प.ह.नं.-11, रा.नि.मं.-40 मजगांव तहसील परवाड़ा जिला बालाघाट की कृषि भूमि एवं मकान हाताबाड़ी उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। विवादित भूमि उसकी पैतृक खानदानी भूमि है जो उसके पिता धरमचन्द की मृत्यु के पश्चात एवं भाईयों के बीच हुये बटवारे के पश्चात वादी के हिस्से में प्राप्त हुई थी। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि पर वादी का नाम दर्ज होकर उसका स्वामित्व एवं आधिपत्य है। वादी उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करता चहा आ रहा है। वादी की इस साक्ष्य का समर्थन वादी के साक्षी रामप्रसाद वा.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित भूमि के प्र.पी.01 के नक्शा और प्र.पी.02 के खसरा पांचसाला की सत्यप्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं।

8. प्रतिवादी कीरतभान सोनेकर प्रति.सा.01 ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र की उसकी साक्ष्य में बताया है कि खसरा नं. 17 रकबा 2.46 एकड़ भूमि प.ह.

नं. 11, रा.नि.मं.40 पैतृक भूमि है। उक्त भूमि उसके पिता धरमचंद के नाम पर दर्ज थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वादी, प्रति.क्रं.-01 एवं बृजबिहारी के नाम पर दर्ज चली आयी है। उक्त विवादित भूमि पर पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाईयों का बटवारा किया गया था। जिसमें विवादित भूमि खसरा नं. 17 में से 17/1 रकबा 0.94 डिसमिल भूमि वादी को एवं 0.94 भूमि प्रति.क्रं.-01 को एवं 0.94 डिसमिल भूमि एवं उनके भाई बृजबिहारी को मकान हाताबाड़ी पीछे की भूमि का उनके उनके पिता की मृत्यु के पश्चात कब्जा अनुसार बटवारा किया गया था। बटवारे के अनुसार सभी अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं। जिसका वर्तमान में एकजाई नक्शा खसरा नं. 17 है। बटवारे के बाद खसरा में सुधार नहीं हुआ था। उक्त बटवारे शुदा भूमि खसरा नं. 17/1 वादी के सामने के मकान के पीछे कुआं तक का भाग कुछ रकबा प्रति.क्र.01 के निर्माणधीन मकान के भू-भाग के पीछे वाली भूमि जिसे वर्तमान में पुन्नु गायकी वादी से क़य करने के बाद कमाता चला आ रहा है। निर्माणाधीन प्रतिवादीगण के मकान वाली भूमि करीब दस पंद्रह डिसमिल मकान बनाने के लिए बटवारे के समय प्रति.क्र.-01 को दी गयी थी। इस कारण वादी को पुरानी हवेली तक का भाग दिया गया था। बाजू से लगा हुआ कच्चा मकान प्रति.क्र.-01 ने बृजबिहारी को दिया था। बटवारे में प्राप्त मकान का रकबा कम होने से विवादित स्थल पर दस से पंद्रह डिसमिल भूमि मकान बनवाने के लिए प्रति.क्रं.-01 को दी गयी थी जो देवीलाल के मकान के सामने स्थित है। बटवारे के बाद उक्त भूमि पर प्रति.क्र.-01 का कब्जा है एवं वह उसे जोतता चला आया है। प्रति.क्र.-01 की इस साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी देवीलाल प्रति.सा.02 एवं रामदास प्रति.सा.03 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथ पत्र की साक्ष्य में किया है। प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्र.डी.01 का खसरा पांचसाला एवं प्र.डी.02 के अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं।

9. प्रकरण में वादी एवं प्रति.क्र.01 ने उनके मध्य हुए पारिवारिक बटवारे से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रति.क्र.-01 कीरतभान ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके तीनों भाईयों के बीच में जमीन का बटवारा हो गया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के खसरा नं. में से 0.94 डिसमिल भूमि वादी के हिस्से में आयी है एवं 93 डिसमिल भूमि उक्त साक्षी के हिस्से में आयी है। प्रति.क्र.-01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-8 में यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर वादी का

मकान हाताबाड़ी खसरा नं. 17/1 में स्थित है। वादी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि प्रतिक-01 की निर्माणाधीन वाली भूमि के बाद की भूमि जो उसके हिस्से की थी। 70-80 डिसमिल भूमि पुन्नु गायकी को विक्रय कर दी है। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्र.पी.02 के पांचसाला खसरा में विवादित भूमि पर वादी का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। खसरा पांचसाला में मकान पक्का बना होने का भी उल्लेख है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वादी, प्रतिक-01 एवं उनके भाई बृजबिहारी ने उनके पिता की जिस भूमि का बटवारा किया था वह भूमि उनके पिता को कहां से प्राप्त हुई थी। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वादी की विवादित संपत्ति एवं उसके भाईयों को बटवारे में प्राप्त संपत्ति उनके पिता की पैतृक संपत्ति थी। प्रतिक-01 ने विवादित भूमि पर वादी का मकान एवं हाताबाड़ी बना होना स्वीकार किया है। वादी को विवादित संपत्ति उसके पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई है। वादी की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि वादग्रस्त संपत्ति वादी की पैतृक संपत्ति थी। वादी की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि विवादित संपत्ति वादी को उसके पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई थी।

वादप्रश्न क02 का निराकरण:-

10. वादी सतीशचंद्र सोनेकर वा.सा.01 का कहना है कि प्रतिक-01 ने उसके पुत्रों के सहयोग से विवादित भूमि पर जबरदस्ती मकान निर्माण करने के लिए नींव खोदना प्रारंभ कर दिया है। वादी गांव से बाहर रहता है। दिनांक 02.03.2016 को वादी ने मौके पर जाकर प्रतिवादी क.01 को नींव खोदने से मना किया था तो प्रतिवादीगण नींव खोदने से नहीं माने थे और उन्होंने यह कहा था कि वह मकान निर्माण करके ही रहेंगे। प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती मकान निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है एवं उन्होंने वाद के लंबित रहते हुए चार फिट दीवार का निर्माण कर लिया है। वादी की इस साक्ष्य का समर्थन वादी के साक्षी रामप्रसाद वा.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में किया है। प्रतिवादी कीरतभान ने वादी की साक्ष्य के खंडन में बताया है कि विवादित मकान वाली भूमि उनके स्वामित्व एवं हिस्से की भूमि है जिस पर उन्होंने पूर्व के मई, जून माह में एक रहवासी मकान का निर्माण किया है। वादी ने निर्माणाधीन मकान वाली भूमि को हड़पने की नियत से

प्रतिवादी के साथ विवाद किया है। प्रतिवादी ने वादी के हक स्वामित्व की भूमि पर निर्माण नहीं किया है। निर्माणाधीन मकान की भूमि के पूर्व दिशा में वादी का कुआं हवेली के हिस्से वाली भूमि खसरा नं. 17/1 की है एवं कुछ हिस्सा निर्माणाधीन वाली भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित है। जिसे वादी ने पूर्व में गांव के पुन्नु गायकी को विक्रय कर दी है। विवादित भूमि से लगी भूमि जिस पर मकान हाताबाड़ी स्थित है उसे वादी ने गांव के संतोष मद्रासी को दान में दे दी है। वादी का विवादित भूमि पर हक व स्वामित्व नहीं है। प्रतिवादी की इस साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी देवीलाल प्रति.सा.02 एवं रामप्रसाद प्रति.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में किया है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तवेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वादी ने उसके गांव के पुन्नु गायकी को कोई भूमि विक्रय की हो एवं वादी ने संतोष मद्रासी को कोई भूमि दान में दी हो। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्र.पी.02 खसरा पांचसाला में विवादित भूमि पर वादी का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्र.डी.01 के खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपि में खसरा नं. 17/64 रकबा 0.377 हेक्टेअर भूमि पर प्रतिवादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी के खसरा पांचसाला में दोनों के पास बराबर भूमि है। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों को परिवारिक बटवारे में बराबर भूमि प्राप्त हुई है। प्र.पी.02 के खसरा पांचसाला में विवादित भूमि पर वादी का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज होने के कारण विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण को अवैध रूप से कब्जा करने एवं मकान निर्माण करने से रोका जाना उचित दर्शित होता है। अतः वादी वाद प्रश्न क्रमांक-02 उसके पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहा है।

वादप्रश्न क्रमांक-3 सहायता एवं खर्च-

11. प्रकरण की की उपरोक्त विवेचना में वादी उसके वादपत्र को प्रतिवादीगण के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है अतः वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1- यह प्रमाणित माना जाता है कि विवादित संपत्ति वादी की पारिवारिक संपत्ति होने के कारण उसे बटवारे में प्राप्त हुई थी।

2- यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण कर कब्जा करने का प्रयास नहीं करें।

3- प्रतिवादीगण वादी का वाद व्यय वहन करेंगे।

4- अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वि०व्य०न्याया० वर्ग-1,
तहसील बैहर जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)

द्वि०व्य०न्याया० वर्ग-1,
तहसील बैहर जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)